परिपत्र संख्या 08/10

राजस्थान-सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राज.,
"कर-भवन", अजमेर

क्रमांकः एफ-7(39)जन/10/ 4578 दिनांकः 29.3.2010

परिपत्र

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची के आर्टिकल-33 में 20 वर्ष से अधिक अवधि की लीज पर मुद्रांक शुल्क लीज पर दी गई अचल सम्पत्ति की मार्केट वैल्यू पर लेने का प्रावधान किया गया है तथा उक्त आर्टिकल के नीचे अंकित स्पष्टीकरण में व्यवस्था की गई है कि उक्त लीज की अवधि की गणना उन्हीं पक्षकारों के मध्य उसी सम्पत्ति के संबंध में पूर्व में निष्पादित लीज की अवधि को भी शामिल की जावे।

इस व्यवस्था के कारण मुद्रांक शुल्क से बचने के लिए 20 वर्ष या इससे कम अवधि की लीजडीड का निष्पादन करवाया जा सकता है तथा पूर्व की लीज के तथ्यों की उसमें अंकित नहीं करने की संभावना है।

अतः अधिसूचना क्रमांक प.2(26)वित्त/कर/98-45 दिनांक 22.5.03 में वर्णित संस्थाओं एवं निकायों के अलावा अन्य संस्थाओं एवं व्यक्तियों द्वारा निष्पादित 20 वर्ष या कम अवधि की लीजडीड/किरायानामा पंजीयन या नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत होने पर निष्पादक से इस आशय का शपथ-पत्र लिया जावे कि इसी संपत्ति का इन्हीं पक्षकारों के मध्य पूर्व में कोई लीज नहीं थी, यदि पूर्व में लीज पर थी, तो कितनी अवधि के लिए थी, यह स्पष्ट कराया जावे एवं शपथ-पत्र के तथ्यों के आधार पर लीज अवधि की गणना की जावे।

उपरोक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के पश्चात् ही लीजडीड का पंजीयन करें।

29/3/10

महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर

क्रमांकः एफ-7(39)जन/10/ 4579 to 5026 दिनांकः 29.3.2010

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन सचिव (राजस्व) वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव एवं कमिश्नर सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राज. जयपुर की विभाग की वेबसाईट www.rajstamp.gov.in पर अपलोड हेतु।
3. समस्त कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
4. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, एस.आर.ए.5/कार्यालय महालेखाकार, (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।
6. उप विधि परामर्शी/सहायक विधि परामर्शी, मुख्यालय, अजमेर।
7. अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर।
8. समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), राजस्थान।
9. समस्त उप पंजीयकगण, राजस्थान।
10. मुख्य विधि सहायक कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), वृत-जयपुर/जोधपुर।
11. उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
12. कम्प्यूटर प्रोग्रामर, मुख्यालय, अजमेर को परिपत्र की प्रति विभाग की बेवसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
13. समस्त आन्तरिक लेखा जांच दल, मुख्यालय, अजमेर।
14. निजी-सचिव, महानिरीक्षक/निजी-सहायक, अति. महानिरीक्षक।
15. समस्त शाखाएँ, मुख्यालय, अजमेर।

29/3/10

अतिरिक्त महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर